बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

—:: संकल्प ::—

श्री मोहन ताँती, क्षेत्रीय निरीक्षी पदाधिकारी (मुख्यालय में प्रतिनियुक्त), प्रशिक्षण पक्ष, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना सम्प्रति प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बेगूसराय के विरूद्ध पत्र प्रारूप में छेड़–छाड़ कर अपने नियंत्री पदाधिकारी पर ही आरोप लगाने, तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर वरीय पदाधिकारियों को दिग्भ्रमित करने तथा अपने कर्तव्यों को उच्चाधिकारियों पर थोपने एवं सरकार को गुमराह करने आदि के आरोप में सक्षम प्राधिकार (माननीय मुख्यमंत्री) के अनुमोदन से आरोप पत्र गठित किया गया। विभागीय ज्ञापांक–1385 दिनांक–14.06.19 द्वारा श्री मोहन ताँती को आरोप पत्र सहित सभी साक्ष्यों की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए उनसे बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के आलोक में अनुशासनिक कार्रवाई हेतु स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. उक्त के आलोक में श्री मोहन ताँती द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। आरोप संख्या–1 के संबंध में श्री मोहन ताँती ने उत्तर दिया है कि अनुमोदन के क्रम में प्रारूप में 'माननीय मंत्री महोदय द्वारा' का जिक्र यथावत रहने दिया गया था। यह प्रारूपण संबंधी भूल थी एवं इसके लिए वे अकेले नहीं बल्कि सभी जिम्मेवार हैं। इस प्रकार श्री ताँती ने इस आरोप को किसी न किसी रूप में स्वीकार किया है। आरोप संख्या–2 के संबंध में श्री ताँती ने यह उत्तर दिया है कि मूल प्रारूप में उन्होंने माननीय मंत्री का उल्लेख नहीं किया था। जब माननीय मंत्री का उल्लेख करते हुये प्रारूप को उपस्थापित करने का निदेश मिला तब उन्होंने ऐसा प्रारूप उपस्थापित किया। इसी प्रारूप में संशोधन हुआ एवं संशोधन के क्रम में 'माननीय मंत्री' शब्द समूह को काटा गया। तत्पश्चात यह प्रारूप पत्रांक–2179 दिनांक–24.09.2018 द्वारा निर्गत हुआ। आरोप संख्या–3 के संबंध में श्री ताँती ने कहा है कि उन्होंने अपने नियंत्री पदाधिकारी पर कोई आरोप नहीं लगाया है बल्कि यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि उन्होंने निदेश के अनुसार ही कार्य किया है।

3. प्रासंगिक मामले में श्री मोहन ताँती के पूर्व के स्पष्टीकरण पर निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना ने अपने मंतव्य में यह उल्लेख है कि श्री ताँती जिस प्रारूप को मूल प्रारूप बता रहें हैं, वह मूल प्रारूप नहीं है। श्री ताँती ने इसी प्रारूप को अपने हस्ताक्षर के साथ कार्यालय प्रति चिन्हित कर प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने 'माननीय मंत्री के आदेशानुसार' शब्द समूह को अंडर लाईन करते हुये आपति दर्ज की, इस प्रारूप की दूसरी प्रति पर संशोधन के रूप में 'माननीय मंत्री के आदेशानुसार' शब्द समूह एवं प्रारूप में वर्णित बुलेटिंग संख्या 1, 2, 3 को काटा तथा आई०टी०आई० की संख्या में सुधार किया। निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण का मंतव्य तथ्यपरक है। यदि निदेशक द्वारा श्री मोहन ताँती को 'माननीय मंत्री' शब्द का उल्लेख करते हुये प्रारूप उपस्थपित करने का निदेश दिया गया होगा तो फिर स्वयं निदेशक द्वारा इस शब्द समूह को काटने का कोई औचित्य नहीं था।

इस प्रकार समीक्षोपरान्त श्री मोहन ताँती के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाये गये। फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशाधित) के नियम 19 का अनुसरण करते हुए नियम 14 (v) के आलोक में श्री मोहन ताँती के विरूद्ध सक्षम प्राधिकार द्वारा असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि रोके जाने का लघु दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

कृ०पृ०उ०

4. अतएव, श्री मोहन ताँती, क्षेत्रीय निरीक्षी पदाधिकारी (मुख्यालय में प्रतिनियुक्त), प्रशिक्षण पक्ष, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना सम्प्रति प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बेगूसराय के विरूद्ध असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि रोके जाने का लघु दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

निबंधित/स्पीड डाक

5. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति श्री मोहन ताँती, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बेगूसराय को निबंधित डाक से उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(सूर्यकान्त मणि)

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप सं०–6/श्रम वि० आ० (01)– 24/2018 श्र०सं०– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो प्रति के साथ बिहार राजपत्र के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोघ है कि राजपत्र की 15 (पन्द्रह) अतिरिक्त प्रतियॉ विभाग को उपलब्ध करायें।

ह०/–

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप सं०–6/श्रम वि० आ० (01)– 24/2018 श्र०सं०– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप सं०–6/श्रम वि० आ० (01)– 24/2018 श्र०सं०– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै० दा० नि० कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/ जिला कोषागार पदाधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के उप सचिव

निबंधित/स्पीड डाक

ज्ञाप सं०–6/श्रम वि० आ० (01)– 24/2018 श्र०सं०– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– श्री मोहन ताँती, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप सं०–6/श्रम वि० आ० (01)– 24/2018 श्र०सं०– 2118 पटना, दिनांक–04/9/19

प्रतिलिपि–निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण/विशेष सचिव/अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/प्रभारी गोपनीय चारित्री/लोक सूचना पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर/प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा–01), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4/9/19

सरकार के उप सचिव